

विषय :

परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012 के परीक्षा परिणाम
निरस्त करने बाबत।

-0-

पंजी क्रमांक 4786/15 दिनांक 1.10.2015
परिवहन आयुक्त कार्यालय से प्राप्त।

विचाराधीन पत्र का कृपया अवलोकन करें।

2- परिवहन आयुक्त से प्राप्त पत्र में याचिका क्रमांक
14315/2015, 14346/15, 14888/15 श्री अनुराग ठाकुर, श्री
हेमंत रघुवंशी, श्री पंकज शुक्ला, विरुद्ध म.प्र. शासन एवं
अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश
दिनांक 31.8.2015 के विरुद्ध शासन की ओर से रिक्वा पिटिशन
दायर करने की अनुमति चाही गई।अतः माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश
दिनांक 31.8.2015 के विरुद्ध शासन की ओर से रिक्वा पिटिशन
दायर करने हेतु विधि विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु
नस्ती आदेशार्थ प्रस्तुत।

अ.अ. (Com come)

निर्णयित 'म' पर निर्धारित है (विधि विभाग)

Principal Secretary (Tpt.)
No. 4/3, Date: 5.10.2015
8/10/2015

11/9

23/10/15
02/11/15अ.अ.
02/11/15

PS(T)

कृपया अंश (क) पर प्रमाणित करें

अनुमोदित

माननीय मंत्री जी

(एस.एन. मिश्रा)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

अनुमोदित!

प्रमुख सचिव
(परिवहन)

(भूपेन्द्र सिंह)

मंत्री

परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
सेवा प्रबंधन एवं जनशिक्षापरत निवारण
मध्य प्रदेश

637

AS(T)

(एस.एन. मिश्रा)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

पंजी 3992

का विभाग

48/1

क.

8/10

3/10

5/11/15

8/11/15

क्रमांक: 517
मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग
मंत्रालय, भोपाल
दिनांक: 06/10/15
07/10/15

मोहान

8/10

8/10

45 50(T)



छब्बीस-२ सचिवालय

विषय : परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012 के परीक्षा परिणाम
निरस्त करने बाबत।

का विभाग

पूर्व 2005

-0-

पूर्व 2005 का उद्घाटन करके कंडक्टर कक्ष

मा. उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा पालि कोर्ट

के बिच रिज्यू प्रिवीज का

दान देस विधि विभाग के कंडक्टर पालि

दान देस नाली जडुम

9/11/15
9/11/15

9/11/15

PS(T)

PS(T)

DS(T)

कृपया तत्काल वि

12/11/15

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

12/11/15

12/11/15

DS(T)

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय: परिवहन कोष्ठक कर्म परीक्षा 2014 का विभाग
के परीक्षा परिणाम निम्न वर्ग बाब

Principal Secretary (Tpt)
No. 4/3, D.D. 16/10/2014

प्रस्ताव

प्रकाश के कंस के 3/10 पर प्रशापकीय
कंडोक्क डाह किया गया है नियुक्ति
दायता वर्ग की कंडोक्क है नाली विधि विभाग
को अंकित करने हेतु प्राप्त

का. का. (दावता-पा.)

~~अ. स.~~
~~प्र. स.~~

15/10

A अवलोकनार्थ।
तदनुसार विधि विभाग
को अंकित करने हेतु

PS (T)

15/10

प्रमुख सचिव
विधि विभाग

(स. स. मि. मि.)
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

7212/15-ब(प्रो.)
29/10/14
1230

1025/15(T)/15
15.10.15

422/15
16/10/15

20-10-2014

4

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय: परिवहन का प्रत्येक वर्ग परीक्षा 2016
के परीक्षा परीक्षा विभाग को भेजा जा रहा है

का विभाग

प्रतिश्रुति

प्रशासकीय विभाग जिन प्रकरणों में विद्युत यांत्रिक उपकरण करना चाहता है, उपकरण प्रकरण के संवेदन में प्रथम-प्रथम नाली के साथ शासकीय अधिकारिता का स्थायी अधिकार एवं विभागीय अधिकारों सहित संवेदन अपहृत करके जाने पर ही प्रकरणों का निराकरण किया जाना संभव हो सकेगा।

R. Lanchel
3-11-15

(रजनी पंचोही)
अवर सचिव, विधि

6775 ✓
9/11/2015

रजनी पंचोही
9/11

परिवहन विभाग

50(11)

9/11

उच्चो-२ सचिवालय

विषय : परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012 के परीक्षा परिणाम
निरस्त करने बाबत।

का विभाग

-0-

परिवहन आयुक्त से प्राप्त पत्र में याचिका क्रमांक 14315/
2015, 14346/15, 14888/15 श्री अनुराग ठाकुर, श्री हेमंत
रघुवंशी, श्री पंकज शुक्ला, विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में
माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.
8.2015, 08.09.2015, 10.09.2015 के विरुद्ध शासन की ओर से
रिब्यू पिटिशन दायर करने की अनुमति चाही गई है। इस संबंध
में प्रस्ताव विधि विभाग को भेजी गया था।

कृपया पूर्व पृष्ठ पर अंकित विधि एवं विधायी कार्य विभाग
की टीप का अवलोकन करें। जिसमें लेख किया गया है कि
विभाग जिन प्रकरणों में रिब्यू याचिका प्रस्तुत करना चाहता है,
प्रत्येक प्रकरण के संबंध में पृथक-पृथक नस्ती के साथ शासकीय
अधिवक्ता का स्पष्ट अभिमत एवं विभागीय आधारों सहित
संक्षेपिका उपलब्ध कराये जाने पर ही प्रकरणों का निराकरण
किया जाना संभव हो सकेगा।

अतः विधि विभाग द्वारा चाहे अनुसार प्रत्येक प्रकरण में
पृथक-पृथक नस्ती के साथ शासकीय अधिवक्ता का स्पष्ट
अभिमत एवं विभागीय आधारों सहित संक्षेपिका उपलब्ध कराने हेतु
परिवहन आयुक्त को लिखा जाना उचित होगा।

तदनुसार आदेशार्थ प्रस्तुत।

अ.अ. (च.५ वि.८)

18/11

अ.अ.
प.स.८

प्रतिवेदन प्राप्त म. प्र. कृपया तत्काल वि

10/11

TL-15/11/15

15

50/11

(एस.एन. वि.८)

प्रमुख
मध्यप्रदेश शासन
मंत्रालय

16/11

18/11

क्रमांक 3992/2015/आठ

विषय : परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012 के परीक्षा परिणाम
निरस्त करने बाबत प्रोडर मान्यता या नियुक्ति
पूर्व 2009 (समाप्त)

का विभाग

नरकमा ५३ का प्रथम अंश - ईसा.

प्रश्न

31-31 (Post Yacerant)

अवस्था
(5011)

9/17/15

17/11

17/11

18/11

3932
आवक का
दिनांक 18 NOV 2015

छब्बीस-२ सचिवालय

याचिका क्रमांक 14345/2015 अनुराग ठाकुर, याचिका क्रमांक 14346/15 हेमंत रघुवंशी एवं याचिका क्रमांक 14888/15 विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में मा.उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 के विरुद्ध की ओर से रिब्यू पिटीशन दायर करने हेतु अनुमति बाबत।

का विभाग

पंजी क्रमांक 796/16 दिनांक 17.2.2016
परिवहन आयुक्त कार्यालय से प्राप्त।

4/c

विचाराधीन पत्र का कृपया अवलोकन करें।

परिवहन आयुक्त से प्राप्त पत्र में याचिका क्रमांक 14345/2015, 14346/15, 14888/15 श्री अनुराग ठाकुर, श्री हेमंत रघुवंशी, श्री पंकज शुक्ला, विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.8.2015, 08.09.2015, 10.09.2015 के विरुद्ध शासन की ओर से रिब्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति के संबंध में श्री पीयूष धर्माधिकारी, शासकीय अधिवक्ता, मा.उच्च न्यायालय जबलपुर का विधिमत दिनांक 18.1.2016 की प्रति संलग्न की है। प्रकरण के संबंध में अलग-अलग प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः विधि विभाग की 4/एन पर अंकित टीप अनुसार याचिका क्रमांक 14345/2015, 14346/15, 14888/15 श्री अनुराग ठाकुर, श्री हेमंत रघुवंशी, श्री पंकज शुक्ला, विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.8.2015, 08.09.2015, 10.09.2015 के विरुद्ध शासन की ओर से रिब्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति के संबंध में श्री पीयूष धर्माधिकारी, शासकीय अधिवक्ता, मा.उच्च न्यायालय जबलपुर का विधिमत अनुसार शासन/विभाग की ओर उक्त आदेश के विरुद्ध रिब्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति हेतु नस्ती विधि एवं विधायी कार्य विभाग को भेजे जाने हेतु संक्षेपिका सहित प्रस्तुत।

Principal Secretary (Tpt.)
493 Date 17/03/2016

अ.अ.
15/3

अ.अ. व्यवस्थापक

विधि विभाग

15-3-2016

15/3/16

6093/04(1)
17.2.16

PS(T)

कृपया तत्काल प्रसन्न भेजिए 17/3

45

633
17/03/16

50

17/3/16

Limd.

श्री श्रीगा
14-3-2016

8

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :

याचिका क्रमांक 14345 / 2015 अनुराग ठाकुर, याचिका क्रमांक 14346 / 15 हेमंत रघुवंशी एवं याचिका क्रमांक 14888 / 15 विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में मा.उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 के विरुद्ध की ओर से रिब्यू पिटीशन दायर करने हेतु अनुमति बाबत।

का विभाग

-0-

प्रकरण के संबंध में प्रमुख सचिव महोदय से चर्चा की गई। परिवहन आयुक्त से प्राप्त पत्र में याचिका क्रमांक 14345 / 2015, 14346 / 15, 14888 / 15 श्री अनुराग ठाकुर, श्री हेमंत रघुवंशी, श्री पंकज शुक्ला, विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.8.2015, 08.09.2015, 10.09.2015 के विरुद्ध शासन की ओर से रिब्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति के संबंध में श्री पीयूष धर्माधिकारी, शासकीय अधिवक्ता, मा.उच्च न्यायालय जबलपुर का विधिमत दिनांक 18.1.2016 की प्रति संलग्न की है।

अतः विधि विभाग की 4/एन पर अंकित टीप अनुसार याचिका क्रमांक 14345 / 2015, 14346 / 15, 14888 / 15 श्री अनुराग ठाकुर, श्री हेमंत रघुवंशी, श्री पंकज शुक्ला, विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.8.2015, 08.09.2015, 10.09.2015 के विरुद्ध शासन की ओर से रिब्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति के संबंध में श्री पीयूष धर्माधिकारी, शासकीय अधिवक्ता, मा.उच्च न्यायालय जबलपुर का विधिमत अनुसार शासन/विभाग की ओर उक्त आदेश के विरुद्ध रिब्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति हेतु नस्ती विधि एवं विधायी कार्य विभाग को भेजे जाने हेतु संक्षेपिका सहित प्रस्तुत।

अ.अ.

अवर सचिव

(A.S. (B.D.))

प्रमुख सचिव

विभाग के आदेश के अनुसार रिब्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति सिद्ध है।

प्रमुख सचिव

विधि विभाग

दिनांक

24-3-2016

24/3/16

9514

(ए.अ. विभा)

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल

636

Principal Secretary (Tpt)
No. 193 Dated 24/03/2016

दिनांक 24/03/16

मध्यप्रदेश शासन
परिवहन विभाग

:: संक्षेपिका ::

विषय :- याचिका क्रमांक 14345/2015 अनुराग ठाकुर, याचिका क्रमांक 14346/15 हेमंत रघुवंशी एवं याचिका क्रमांक 14888/15 विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 के विरुद्ध की ओर से रिब्यू पिटीशन दायर करने हेतु अनुमति बाबत।

—00—

परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर द्वारा याचिका क्रमांक 14345/2015 अनुराग ठाकुर, याचिका क्रमांक 14346/15 हेमंत रघुवंशी एवं याचिका क्रमांक 14888/15 विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.8.2015, 8.09.2015 एवं 10.09.2015 के विरुद्ध शासन की ओर से रिब्यू पिटीशन दायर करने हेतु अनुमति के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया। याचिका में विभाग में पदस्थ श्री अनुराग ठाकुर, श्री हेमंत रघुवंशी एवं श्री पंकज शुक्ला परिवहन आरक्षक जिनके विरुद्ध व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की चयन परीक्षा की लंबित एसटीएफ की जांच के फलस्वरूप परिवहन आयुक्त कार्यालय के आदेश क्रमांक 3957/प्रवर्तन/टीसी/2015 दिनांक 12.8.2015 के द्वारा उक्त परिवहन आरक्षकों को सेवा से पृथक किया गया था, के विरुद्ध दायर की गई है। जिसमें प्रारंभिक सुनवाई में ही मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 31.8.2015, 8.09.2015 एवं 10.09.2015 को आदेश पारित कर परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर के सेवापृथक आदेश दिनांक 12.8.2015 को खारिज (set aside) करते हुए विभाग को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश दिये हैं। याचिका क्रमांक 14345/15, 14346/15 एवं 14888/15 में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.8.2015, 8.09.2015 एवं 10.09.2015 के परीक्षण उपरांत प्रकरण में श्री पियूष धर्माधिकारी, शासकीय अधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय जबलपुर से दिनांक 18.1.2016 को अभिमत प्राप्त किया गया। शासकीय अधिवक्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध शासन (विभाग) की ओर से रिब्यू पिटीशन दायर करने हेतु अभिमत दिया गया है। विधिमत के अनुक्रम में शासन विभाग की ओर से स्थगन आवेदन सहित रिब्यू पिटीशन दायर किया जाना अति आवश्यक है।

परिवहन आयुक्त द्वारा याचिका में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.8.2015, 8.09.2015 एवं 10.09.2015 की प्रति एवं शासकीय अधिवक्ता के विधिमत की प्रति संलग्न कर प्रकरण में विधिमत अनुसार शासन/विभाग की ओर मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध रिब्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति चाही गई है।

अतः परिवहन आयुक्त के प्रस्ताव तथा शासकीय अधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय जबलपुर के अभिमत अनुसार विविध याचिका क्रमांक 14345/2015 अनुराग ठाकुर, याचिका क्रमांक 14346/15 हेमंत रघुवंशी एवं याचिका क्रमांक 14888/15 विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.8.2015, 8.09.2015 एवं 10.09.2015 के विरुद्ध शासन की ओर से रिब्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु विधि एवं विधायी कार्य विभाग से अनुमति प्राप्त करना उचित होगा।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग

विधि / तत्काल / ईमेल

कार्यालय, परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर

क्रमांक 4854/विधि/टीसी/2015
प्रति,

ग्वालियर दिनांक 26.9.2015

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
भोपाल 460002

4786
01/10/15

विषय:-

याचिका क्रमांक 14345/2015 श्री अनुराग ठाकुर एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, याचिका क्रमांक 14346/2015 श्री हेमंत रघुवंशी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य तथा याचिका क्रमांक 14888/2015 श्री पंकज शुक्ला एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.15 के विरुद्ध शासन की ओर से रिव्यु पिटिशन दायर करने हेतु अनुमति विषयक।

संदर्भ:-

श्री पियूष धर्माधिकारी शासकीय अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का विधिमत दिनांक 18.09.15

विषयांकित याचिकायें विभाग में पदस्थ उन आरक्षकों जिनके विरुद्ध व्यवसायिक परीक्षा मण्डल की दायन परीक्षा की लंबित एसटीएफ की जाँच के फलस्वरूप विभाग द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 12.08.15 के द्वारा सेवा से पृथक किया गया था, के विरुद्ध दायर की गई है। जिसमें प्रारंभिक सुनवाई में ही मान. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.15, 08.09.15 एवं 10.09.15 को पारित आदेश से विभागीय सेवा पृथक आदेश दिनांक 12.08.15 को खारिज (Set aside) करते हुये विभाग को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश दिये हैं। याचिका क्रमांक 14345/15 में मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 31.08.15 के परीक्षण उपरान्त संदर्भित विधिमत में शासकीय अभिभाषक द्वारा आदेश के विरुद्ध शासन (विभाग) की ओर से रिव्यु पिटिशन दायर किये जाने का विधिमत दिया गया है, याचिका क्रमांक 14346/15 तथा 14888/15 समान प्रकार की है। शासकीय अभिभाषक द्वारा संदर्भित विधिमत के अनुक्रम में शासन/विभाग की ओर से स्थगन आवेदन सहित रिव्यु पिटिशन दायर किया जाना अति आवश्यक है।

अतः प्रकरण में विषयांकित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.15, 08.09.15 तथा 10.09.15 की छायाप्रतियाँ याचिकाओं की संपूर्ण प्रतियों की छायाप्रति एवं शासकीय अभिभाषक के संदर्भित विधिमत की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि प्रकरण में विधिमत अनुसार शासन (विभाग) की ओर से उक्त आदेश के विरुद्ध रिव्यु पिटिशन दायर करने की अनुमति समयसीमा में प्रदान करने का कष्ट करें। (परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

पृ. क्रमांक/विधि/टीसी/2015
प्रतिलिपि:-

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)

मध्यप्रदेश

ग्वालियर दिनांक

1. संभागीय उप परिवहन आयुक्त जबलपुर की ओर, आपको उक्त प्रकरण में शासन की ओर से रिव्यु पिटिशन दायर किये जाने हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अति. महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से संपर्क कर शासन/विभाग की ओर से स्थगन आवेदन सहित रिव्यु पिटिशन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष शासन स्वीकृति की प्रत्याशा में दायर करें, तथा रिव्यु पिटिशन की छायाप्रति कृत कार्यवाही के प्रतिवेदन सहित शासन एवं इस कार्यालय को प्रेषित करें।
2. अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)

मध्यप्रदेश

28 SEP 2015

कृपया तत्काल नसी मोहं /

4854

27/9/15

2019 50121

Principal Secretary (Tpt.)
No. 2004-Dates 28/09/2015

Immed

DS

GOVERNMENT ADVOCATE



MADHYA PRADESH

Phone { Office : 2678740
2678185
Fax : 2621216

D. O. No.

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL
MADHYA PRADESH, JABALPUR
JABALPURDated
September 18, 2015

To,


1. The Principal Secretary,
Govt. of M.P.,
Law & Legislative Affairs Department,
Vindhyachal Bhawan,
Bhopal.
2. The Principal Secretary,
Govt. of M.P.,
Department of Transport,
Mantralaya, Vallabh Bhawan,
Bhopal.
3. The Transport Commissioner, Gwalior.

Sub :- Opinion in W.P. NO. 14345/15-Anurag Thakur V/s State of MP & Others.

Please find enclosed herewith the copy of order passed by the Hon'ble High Court in the above petition.

In my opinion, it is a fit case to file review.

Encl.:- As above.


(PIYUSH DHARMADHIKARI)
GOVERNMENT ADVOCATE

मध्यप्रदेश शासन
परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

ईमेल द्वारा

3

क्रमांक 3932 / 3992 / 2015 / आठ
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर, 2015

परिवहन आयुक्त,
म.प्र. ग्वालियर।

विषय :- याचिका क्रमांक 14315 / 2015, 14346 / 2015 एवं 14888 / 15 द्वारा श्री अनुराग ठाकुर, श्री हेमंत ठाकुर एवं श्री पंकज शुक्ला, विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य।
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 4859 / विधि / टीसी / 15 दिनांक 26.09.2015

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। याचिका क्रमांक 14315 / 2015, 14346 / 2015 एवं 14888 / 15 द्वारा श्री अनुराग ठाकुर, श्री हेमंत ठाकुर एवं श्री पंकज शुक्ला, विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.8.2015, 08.09.2015 एवं 10.09.2015 के विरुद्ध रिब्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा लेख किया गया है कि विभाग जिन प्रकरणों में रिब्यू पिटीशन प्रस्तुत करना चाहता है, प्रत्येक प्रकरण के संबंध में पृथक-पृथक नस्ती के साथ शासकीय अधिवक्ता का स्पष्ट अभिमत एवं विभागीय आधारों सहित संक्षेपिका उपलब्ध कराये जाने पर ही प्रकरणों का निराकरण किया जाना संभव हो सकेगा।

2/- कृपया प्रकरणों में रिब्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति के संबंध में विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा चाहे अनुसार पृथक-पृथक प्रस्ताव शासकीय अधिवक्ता का अभिमत सहित तत्काल इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(नीलू मरकाम)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, परिवहन विभाग

(4)

विधि/तत्काल/ईमेल

कार्यालय, परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर

क्रमांक 960/विधि/टीसी/2016
प्रति,

ग्वालियर दिनांक 18-2-16

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
परिवहन विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल 46000

मध्य प्रदेश शासन
परिवहन विभाग

पंजी क. 796
दिनांक 17/02/16

विषय:-

1. याचिका क्रमांक 14345/2015 श्री अनुराग ठाकुर एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य,
2. याचिका क्रमांक 14346/2015 श्री हेमंत रघुवंशी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य,
3. याचिका क्रमांक 14888/2015 श्री पंकज शुक्ला एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य तथा
4. याचिका क्रमांक 15034/2015 श्री दीपक उपाध्याय विरुद्ध मध्यप्रदेश
5. याचिका क्रमांक 16293/2015 श्री मनमोहन रघुवंशी
6. याचिका क्रमांक 17548/2015 श्री मनोज कौल
7. याचिका क्रमांक 19058/2015 श्री साहब बहादुर सिंह शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटिशन दायर करने हेतु।

संदर्भ:-

श्री पीयूष धर्माधिकारी शासकीय अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का विधिमत दिनांक 18.01.2016

विषयांकित याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध शासन/विभाग की ओर से रिव्यू पिटिशन दायर करने हेतु अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग भोपाल का पत्र क्र. 3932/3992/15/आठ भोपाल दिनांक 18.11.15 के अनुक्रम में संदर्भित विधिमत की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार विषयांकित याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध शासन/विभाग की ओर से रिव्यू पिटिशन दायर करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संज्ञा :- उपरोक्तानुसार

परिवहन आयुक्त
मध्यप्रदेश

ग्वालियर दिनांक

पृ. क्रमांक/विधि/टीसी/2016
प्रतिलिपि:-

1. अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संभागीय उप परिवहन आयुक्त जबलपुर की ओर आपके पत्र क्र. 4001/उ.प.अ./15 कैम्प छतरपुर दिनांक 29.01.16 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

परिवहन आयुक्त
मध्यप्रदेश

12 FEB 2016

80

16/2/16



MADHYA PRADESH

 Phone { Office 24167
 24168
 Fax 24167

D.O.No. 6/8

69

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL
MADHYA PRADESH JABALPUR

JABALPUR

Dated

January 18th, 2016

To,

The Divisional Dy. Transport Commissioner,
Division Jabalpur, (M.P.).Sub :- Opinion with regard to the order dated 24.9.2015 in W.P. No.
16293/2015 and other identical petitions.


Ref:- Your letter dated 18.01.2016 No. 206/S.U.P.A./2016

Sir,

Please referred to your above mentioned letter whereby you have sought opinion with regard to filing of Review Petition in reference to the order passed in the Writ Petition as mentioned in your letter. That I have perused the orders passed in the respective writ petitions wherein the issue raised by the petitioners who were working as Transport Constable and their services were terminated by various impugned orders. That according to the petitioners the order of termination was bad in law since there was an allegation of major misconduct against the petitioner involving moral turpitude and without any show cause or enquiry but order being stigmatic in nature was bad in law. That the Division Bench of this Hon'ble Court after hearing the parties to the petition has held that the order is bad in law since the same has been passed without holding any enquiry and keeping in view the fact that the same is stigmatic and there is an allegation of major misconduct involving moral turpitude.

That after perusing the order passed by the Hon'ble Court and the record of the writ petition in my considered opinion the review petitions can be preferred on the following grounds:-

- (a) That the petitioner were appointed on Transport Constable and were on probation and thus there was no requirement of



2019 50/11

ATC (E)


परिवहन आयुक्त
मध्यप्रदेशआ.क्र. 3682-सी.टी./वि.प्र.
भोपाल/दिनांक 20-1-16

Copy ³⁰ of order sheet

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR


W.P. No. 14345/2015

Petitioners:

- 228
72159
- 24-8-15
Presenting Assistant
- 
1. ANURAG THAKUR, S/O HARGYAN SINGH
THAKUR, NEW TELEPHONE EXCHANGE
COLONY BHERUPURA ROAD BERASIA
BHOPAL M.P.
 2. DHARMENDRA THAKUR S/O MOHAN
THAKUR R/O LIG 8 NERA POLICE
GROUND NEHRU NAGAR BHOPAL M.P.
 3. RAJKUMAR JATAV S/O KASHIRAM JATAV
R/O VILLAGE BAMANPURA ATER BHIND
DISTRICT BHIND
 4. YUSUF KHAN S/O IQBAL KHAN R/O
H.NO.168 GEETA BHAWAN GULAB BAG
BHIND, DISTRICT BHIND.

VERSUS

Respondents:

- 
1. STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH
PRINCIPAL SECRETARY TRANSPORT
DEPARTMENT, MANTRALAYA VALLABH
BHAWAN BHOPAL (MP) 462011
 2. SPECIAL TASK FORCE HEADQUARTER
JAHANGIRABAD BHOPAL, 462008
 3. DIRECTOR M.P. VYAVASAYIK PARIKSHA
MANDNAL, CHAYAN BHAWAN, CHUNAR PARK
(EAST) MAIN ROAD NO. 7 BHOPAL [M.P.]
462011
 4. TRANSPORT COMMISSIONER GWALIOR M.P.



HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

ORDER SHEET

CASE No. 201

Vs.

DATE OF THE ORDER	ORDER
	<p style="text-align: center;"><u>W.P.No. 14345/15</u> <u>Anurag Thakur and ors. Vs. State of M.P. & ors</u></p> <p>31.08.2015</p> <p>Shri Amitabh Gupta, Counsel for the petitioners.</p> <p>Shri Piyush Dharmadhikari, learned G.A. for the respondents/State.</p> <p>With consent heard finally.</p> <p>By filing this petition under Art.226 of the Constitution of India, the petitioners have called in question the order [Annexure P-3A, P-3B, P-3C and P-3D] dated 12.8.2015.</p> <p>Briefly stated, the petitioners were appointed on the post of Constable [Transport Department]. On account of misconduct their services were terminated by the impugned orders stating therein that as they are involved in major misconduct involving moral turpitude their services cannot be continued.</p> <p>Learned counsel for the petitioners submits that prior to passing of the impugned orders a show cause notice was issued of which reply was filed by the petitioners denying the allegation but without holding any enquiry about the same, the services of the petitioners have been terminated by impugned stigmatic orders.</p> <p style="text-align: center;">Shri Piyush Dharmadhikari, learned</p>



W.P. No. 14888 /2015

Petitioners:

1. PANKAJ SHUKLA, S/O UMESH PRASAD SHUKLA, R/O H.NO.15/154 NEAR SIDDHU DAIRY POST TATHARA POLICE STATION UNIVERSITY TEHSIL HUZUR REWA M.P.
2. SANDIP TIWARI S/O LAXMAN TIWARI R/O B-124 JK TOWN NEAR JK HOSPITAL KOLAR ROAD BHOPAL M.P.
3. PRASHANT YADAV S/O MOHAN SINGH R/O NG 4 POLICE RADIO COLONY SHYAMLA HILLS ROAD BHOPAL M.P.
4. DINESH KUMAR RAGHUVANSHI S/O RAM SINGH RAGHUVANSHI, R/O G-2 NEW POLICE LINE POLICE STATION CANT DISTRICT GUNA M.P.
5. BRIJESH MISHRA S/O JAIRAM MISHRA R/O 206 G PRIYANKA NAGAR NEAR P-25 KOLAR ROAD BHOPAL M.P.

VERSUS

Respondents:

1. STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH PRINCIPAL SECRETARY TRANSPORT DEPARTMENT, MANTRALAYA VALLABH BHAWAN BHOPAL (MP) 462011

Copy ③ of admission

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

W.P. No. 15034/2015

Petitioner:

DEEPAK UPADHYAY S/O PURUSHOTTAM

UPADHYAY R/O MINAKSHI CHOWK

aged about 20 years

NEAR ICICI BANK HOSHANGABAD,

HOSHANGABAD M.P.

VERSUS

Respondents:

1. STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH
PRINCIPAL SECRETARY TRANSPORT
DEPARTMENT, MANTRALAYA VALLABH
BHAWAN BHOPAL (MP) 462011
2. SPECIAL TASK FORCE HEADQUARTER
JAHANGIRABAD BHOPAL, 462008
3. DIRECTOR M.P. VYAVASAYIK PARIKSHA
MANDNAL, CHAYAN BHAWAN, CHINAR PARK
(EAST) MAIN ROAD NO.1 BHOPAL [M.P.]
462011
4. TRANSPORT COMMISSIONER GWALIOR M.P.

PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION
OF INDIA)

PARTICULARS OF THE CAUSE/ORDER AGAINST WHICH THE PETITION IS MADE:-

No. & Date of order: 3957/परिवहन/टीसीV, dated 12/08/15

Issued by:- TRANSPORT COMMISSIONER, GWALIOR M.P

Subject in brief: - The Petitioner is aggrieved with the order dated 12/08/15 whereby the services of the petitioner as transport constable (Parivahan Tak) has been terminated without following the due process of law. The



③

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

W.P. No. 14346 /2015

Petitioner:

HEMANT RAGHUVANSHI, AGED ABOUT 32
YEAR S/O SHRI ARJUN SINGH RAGHUVANSHI
R/O 156 HANUMAN COLONY GUNA DISTRICT
GUNA M.P.

VERSUS

Respondents:

1. STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH
PRINCIPAL SECRETARY TRANSPORT
DEPARTMENT, MANTRALAYA VALLABH
BHAWAN BHOPAL (MP) 462011
2. SPECIAL TASK FORCE HEADQUARTER
JAHANGIRABAD BHOPAL, 462008
3. DIRECTOR M.P. VYAVASAYIK PARIKSHA
MANDNAL, CHAYAN BHAWAN, CHINAR PARK
(EAST) MAIN ROAD NO.1 BHOPAL [M.P.]
462011
4. TRANSPORT COMMISSIONER GWALIOR M.P.

(WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION
OF INDIA)

1. PARTICULARS OF THE CAUSE/ORDER AGAINST WHICH THE PETITION IS MADE:-

- (i) No. & Date of order: 3969/प्रवर्ध/टीसी, dated 12/08/15
- (ii) Issued by:- TRANSPORT COMMISSIONER, GWALIOR M.P.

Subject in brief:- The Petitioner is aggrieved with the order dated
12/08/15 whereby the services of the petitioner as transport constable [Parivahan